झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
नामकुम, राँची–834010

प्रेस विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2015–16 के कार्य योजना तथा उसके समय सीमा पर समीक्षा बैठक

आज दिनांक 04.04.2015 को आर0 सी0 एच0 सभागार, नामकुम, राँची में स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का वित्तीय वर्ष 2015–16 के कार्य योजना तथा समय सीमा निर्धारण पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षात्मक बैठक की अध्यक्षता के0 विद्यासागर, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। इस समीक्षात्मक बैठक में राम कुमार सिन्हा, सरकार के उप सचिव, अभियन्तरण कोषांग के सभी अभियंता, आयुष, राज्य स्तर के निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक, परामशी/समन्वयक तथा पदाधिकारीयों ने भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्रीय योजनाओं एवं राज्य योजनाओं के लिए निदेशक स्तर के पदाधिकारीयों को प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग कार्य योजना करने एवं समय सीमा के निर्धारण हेतु निदेश दिया गया। सभी पदाधिकारीयों को 15 दिनों के अन्दर अपनाा–अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। चालू योजनाओ के लिए शेष राशि का आवंटन अगले 15 दिनों में करने का निदेश दिया गया। नये भवन निर्माण से संबंधित योजनाओ में स्थान का चयन एक सप्ताह के अंदर कर मुख्य अभियंता को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। मुख्य अभियंता प्रशासनिक स्वीकृति के प्रत्याशा में निविदा प्रकिया प्रारंभ्भ करेगें तथा निविदा की निर्धारित समय सीमा ही लेगे।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के कार्ययोजना तथा समय सीमा निर्धारण पर समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने कहा कि कुल परिव्यय, योजना परिव्यय, योजना परिव्यय फ्लो, सी0 एस0 एस0 के लिए केन्द्रीय शेयर, सी0 एस0 एस0 के लिए राज्य शेयर तथा केन्द्र परियोजित योजनाओं की कार्य योजना 15 दिनों के अन्दर बनाने का निर्देश दिये साथ ही इन योजनाओं के लिए समय सीमा निर्धारण करने का निर्देश दिये।

उन्होने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन का विस्तृत व्योरा तैयार करने को निदेशित किये। मेडिकल कॉलेजो में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो के उन्नयन के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिये ।

उन्होने ने स्वास्थ्य विभाग तथा एन0 एच0 एम0 झारखंड की कार्य योजना का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। उन्होने भवन निमार्ण में चल रहे कार्यो में तीव्रता लाने, उसकी कार्य योजना एवं समय सीमा निर्धारण का निर्देश दिये।

उन्होने ए0 एन0 एम0 एवं जी0 एन0 एम0 स्कूल की कार्य योजना एवं समय सीमा निर्धारण 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने को कहें। राष्ट्रीय एड्स एवं एस0 टी0 डी0 नियंत्रण का विस्तृत कार्य योजना एवं समय सीमा निर्धारण 15 दिनों के अन्दर बनाने का निर्देश दिये।

राज्य योजना अन्तर्गत भवन निर्माण – उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र रेफरल अस्पताल, सिविल सर्जन ऑफिस, अनुमण्डलीय अस्ताल, 100 बेड जिला अस्पताल, 500 शैय्या अस्पताल – दुमका तथा खरसावाॅ, रिम्स, पी0 एम0 सी0 एच0, रिनपास, हौमियोपैथीक/यूनानी/आयूर्वेदिक/मेडिकल एवं फार्मेसी कॉलेज, आयुष निदेशालय, जिला संयुक्त आयुष अस्पताल एवं दवाखाना का विस्तृत कार्य योजना एवं समय सीमा निर्धारण 15 दिनों के अन्दर बनाने का निर्देश दिया गया।

Medical Assistance to BPL families, IPH, Health Directorate Building, Pharmacy Institute, Outsourcing, Genetic Wing in RIMS, GNM School, Paramedical Council, Medico City & New Medical Colleges/Hospitals under PPP, Regional Drug & Food Laboratory, Dumka, State Yoga Center, Blood Bank, 108 Medical Emergency Ambulance Service, Cancer Hospital, State Health Data & Statistical Center, 104 Health Information Helpline, Medical & Health Consultant fee, IEC/BCC, Burn Unit, Ware House, Long Lasting Insecticide Treated Net, Post mortem House and Mortuary, District Drugs & Food Office, Renovation, Repair & Maintenance, Skill Development, Sanitary Napkins for school going girls, Automation of Drugs & Food Administration, Paramedical Institute in MGM & PMCH , Purchase of new ambulance (including running cost), Provision of signage in Hospitals/ Health centers, Dialysis Center in District Hospitals & Medical Colleges, Physiotherapy Center in District Hospitals & Medical , ICU in District Hospitals का वित्तीय वर्ष 2015–16 के कार्य योजना तथा समय सीमा निर्धारण 15 दिनों के अन्दर बनाने का निर्देश दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के कार्य योजना तथा समय सीमा निर्धारण पर पुन: समीक्षा बैठक का आयोजन 27.04.2015 को किया जाएगा।

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग